FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

अमर कँवर उर्फ अनोप कँवर बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा:– इजराय मुकदमा नम्बर:– 23 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
09.05.2022	वकील डिक्रीदार श्री कमलेश कुमार शर्मा प्रथम एड0 ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.05.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 08.06.2022 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	दिनांक 13.5.2022 को नामांतरण सं. 2925 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया। Jyoti
14.11.2022	पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में राज पैरोकार नायब तहसीलदार ने अवगत कराया है कि न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय की पालना जरिये नामान्तकरण संख्या 2925 दिनांक 13.05.2022 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में की जा चुकी है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.11.22 16:10:57 IST Reason: SelfAttested (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	